"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 जून 2019—ज्येष्ठ 17, शक 1941

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रजत कुमार, भा.प्र.से. (2005), संचालक, समाज कल्याण को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन, वित्त एवं विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल प्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 27 मई 2019

क्रमांक एफ 1-09/2018/दो-गृह/भापुसे.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक I-15011/14/2012-IPS-I (Part-I) दिनांक 14-03-2018 द्वारा सिलेक्ट लिस्ट 2010 के लिये राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में चयनित श्री जे. एस. वट्टी, भापुसे की वरिष्ठता में परिवर्तन करते हुये पूर्व में आवंटित वर्ष 2004 को संशोधित करते हुये वर्ष 2003 आवंटन प्रदान करने के फलस्वरूप आवंटन वर्ष से 14 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर परिणामी लाभ के तहत् दिनांक 01-01-2017 से सेवा के उप पुलिस महानिरीक्षक वेतनमान (पे बैंड-4 रुपये 37400-67000+ग्रेड पे रुपये 8,900/-) (पुनरीक्षित अनुसूची-III वेतन मैट्रिक्स स्तर-13 (क) रु. 1,31,100-2,16,600) प्रदान किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लीना कमलेश मंडावी, उप-सचिव.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24 मई 2019

क्रमांक एफ 7-04/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री राजेन्द्र नारायण दाश, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. को दिनांक 10-06-2019 से दिनांक 14-06-2019 (कुल 05 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09, 15, 16 एवं 17-06-2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र नारायण दाश, आगामी आदेश तक सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री दाश को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दाश (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. राजेन्द्र नारायण दाश, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, रायपुर, छ.ग. का चालू प्रभार सुश्री नेहा पाण्डेय, रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन), पुलिस मुख्यालय, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

अटल नगर रायपुर, दिनांक 24 मई 2019

क्रमांक एफ 7-29/2014/दो-गृह/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आशुतोष सिंह, भापुसे, सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, छ.ग. को दिनांक 20 मई 2019 से दिनांक 01 जून 2019 (कुल 13 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 18, 19 मई 2019 एवं 02 जून 2019 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आशुतोष सिंह, आगामी आदेश तक सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, छ.ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन, भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह (भापुसे) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. आशुतोष सिंह, भापुसे सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, छ.ग. का चालू प्रभार श्री जे. एस. चौरसिया, रापुसे, उप सेनानी, प्रथम वाहिनी, छसबल, भिलाई, छ.ग. को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. कौशल, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरिया, दिनांक 2 फरवरी 2019

क्रमांक/648/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	बैकुण्ठपुर	कसरा बुड़ार	0.364 0.517	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) अनुभाग बैकुण्ठपुर.	कसरा सड़क निर्माण हेतु.
		योग	**0.881**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बैकुण्ठपुर जिला कोरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नरेन्द्र दुग्गा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बेमेतरा, दिनांक 26 फरवरी 2019

क्रमांक/442/अ-82/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेमेतरा	बहिंगा प.ह.नं. 39	0.33	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, बेमेतरा.	बहिंगा एनीकट कम काजवे के पहुंच मार्ग में प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महादेव कांवरे, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कोरबा, दिनांक 6 मार्च 2019

क्रमांक/4878/भू-अर्जन/03 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खरहरकुड़ा प.ह.नं. 10	0.057	कार्यपालन अभियंता, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर, जिला-जांजगीर-चांपा.	मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना अंतर्गत खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 8 मार्च 2019

क्रमांक/5122C/भू-अर्जन/21 अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कोरबा	कुरूडीह प.ह.नं. 10	0.384	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	भैंसमा-कुरूडीह मार्ग में डोम नाला पर उच्च स्तरीय सेतु एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण कौशल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	बासनपाली	1.336	महाप्रबंधक, एन.टी.पी.सी. तलाईपाली.	एन.टी.पी.सी. रेल लाईन हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला	2.710	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत बांयी तट में ग्राम कुडुमकेला के प्रभावित निजी भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	कुडुमकेला	1.563	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत दांयी तट में ग्राम कुडुमकेला के प्रभावित निजी भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	घरघोड़ा	पुरी	5.982	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धरमजयगढ़.	कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत डूब क्षेत्र में ग्राम पुरी के प्रभावित निजी भूमि.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2018

रा.प्र.क्रमांक/9396/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	रजखेता प.ह.नं. 21	1.12	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग, वाड्रफनगर.	बायपास रोड वाड्रफनगर

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बलरामपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2018

रा.प्र.क्रमांक/9753/अ-82/भू-अर्जन/2019.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	वाड्रफनगर	वाड्रफनगर प.ह.नं. 22	0.66	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग, वाड्रफनगर.	बायपास रोड वाड्रफनगर

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), वाड्रफनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हीरालाल नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 मई 2019

क्रमांक 06/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	निपनिया प.ह.नं. 12	4.44	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2019

क्रमांक 55/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	रहंगी प.ह.नं. 10	3.11	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2019

क्रमांक 56/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	हिर्री प.ह.नं. 12	15.48	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत वितरक माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2019

क्रमांक 57/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	अटर्रा प.ह.नं. 14	7.59	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2019

क्रमांक 58/अ-82/2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	डोकलाडीह प.ह.नं. 14	8.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा.	अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना अन्तर्गत माईनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2019

क्रमांक 03/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-झलफा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	528	0.142
	529/8	0.040
	516/5, 529/7	0.040
	529/6, 516/4	0.069
	529/9	0.045
योग	5	0.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2019

क्रमांक 06/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-मोहभट्ठा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.655 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	316/1	0.057
	315	0.089
	313/10	0.032
	313/9	0.065
	313/4	0.008
	312/2	0.202
	313/1	0.036
	92	0.008
	91/1	0.028
	91/2	0.028
	90/1	0.053
	90/2	0.049
योग	10	0.655

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के केसला माइनर, केसला सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-खम्हार
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.239 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	198/8	0.239
योग		0.239

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खम्हार झरन जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-झरन
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	138/8क	0.141
	139/9क	0.243
	138/8ख	0.162
	139/9ख	0.162
योग	04	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झरन जलाशय के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2017-2018.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-लैलूंगा
(ग) नगर/ग्राम-कूपाकानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.278 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	564	1.068
	515	0.210
योग	02	1.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कूपाकानी जलाशय के स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), लैलूंगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर, दिनांक 29 जनवरी 2018

क्रमांक/718/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जाएगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-राजपुर
(ग) नगर/ग्राम-करजी, प.ह.नं. 15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.279 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	495	0.226
	494/1	0.080
	552	0.024
	505	0.473
	175/7	0.024
	175/5	0.032
	175/2	0.052
	175/103	0.048
	175/102	0.088
	241/5	0.028
	241/5	0.204
योग	11	1.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अम्बिकापुर-रामानुजगंज गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 में ग्राम करजी में पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर छ.ग.

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2019

क्रमांक/247/क्षे.प.अ./2019.—ग्राम घानापारा में कोलवासरी के निर्माण किये जाने के कारण मार्ग जोकी से घानापारा, घूटकू पर भारी वाहनों एवं स्कूली बच्चों/ग्रामीण जनों का आवागमन निरन्तर होता है. जिसके कारण हमेशा दुर्घटना की संभावना बनी रहती है. इस परिपेक्ष्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलासपुर एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बिलासपुर का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है.

आमजन की सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिकोण से मैं डॉ. संजय अलंग जिला दण्डाधिकारी बिलासपुर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्ग जोकी से घानापारा, घूटकू पर प्रातः 06.00 बजे से रात 08.00 बजे तक के लिए भारी वाहनों का आवागमन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित करता हूं.

डॉ. संजय अलंग,
जिला दण्डाधिकारी.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा रायपुर

(ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर, दिनांक 23 फरवरी 2019

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2019/1957.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा संचालनालय, रायपुर द्वारा माह-जनवरी, 2019 (दिनांक 21-01-2019 से 25-01-2019 तक) में आयोजित "छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो" में सम्मिलित निम्नानुसार कर्मचारियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-एक

क्र.	रोल नंबर	परीक्षार्थी का नाम	पदनाम	वर्ग	पदस्थ क्षेत्रीय कार्यालय/ संचालनालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	10003	श्री उत्तरा कुमार कोसरिया	ज्येष्ठ संपरीक्षक (परि.)	अ.जा.	अंबिकापुर
2.	10004	श्री भवकांत नायक	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	अंबिकापुर
3.	10005	श्री अमर रंजन मिंज	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	अंबिकापुर
4.	10006	श्री किशोर कुमार ठाकुर	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	जगदलपुर
5.	10007	सीमा गायकवाड़	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	जगदलपुर
6.	10009	श्री अवधेश कुमार दिल्लीवार	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायपुर
7.	10010	श्रीमती अरूणा पवार	सहायक संपरीक्षक	सामान्य	रायपुर
8.	10011	श्रीमती छाया दीवान	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	रायपुर
9.	10012	श्री रीवाराम सोरी	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
10.	10013	श्री कमलेश कुमार सोनवानी	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	राजनांदगांव
11.	10014	श्री चमेलु राम	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	राजनांदगांव
12.	10015	श्रीमती प्रीति लता उईके	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	राजनांदगांव
13.	10016	श्रीमती कविता बघेल	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	राजनांदगांव
14.	10017	श्री चमन कुमार श्रीवास	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायगढ़
15.	10019	श्री अरूण कुमार पाण्डेय	सहायक संपरीक्षक	सामान्य	बिलासपुर
16.	10020	श्री कन्हैया लाल पटेल	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	बिलासपुर
17.	10021	पुष्पा सिंह मंडावी	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	बिलासपुर
18.	10022	श्री हरीश कुमार पटेल	सहायक ग्रेड-3	अ.पि.व.	बिलासपुर
19.	10024	श्री अमित शुक्ला	सहायक ग्रेड-3	सामान्य	संचालनालय

अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग-दो

1.	20002	श्रीमती सरस्वती कुजुर	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	अंबिकापुर
2.	20004	श्रीमती मधुमती साहू	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायपुर
3.	20005	श्री चैतन्य प्रभु जाटवर	सहायक संपरीक्षक	अ.जा.	रायपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	20007	श्री सतानंद वर्मा	सहायक संपरीक्षक	अ.पि.व.	रायपुर
5.	20008	श्री जैनेन्द्र कुमार पटेल	डाटा एंट्री ऑपरेटर	अ.पि.व.	संचालनालय
6.	20011	श्री नारायण सिंह तंवर	सहायक संपरीक्षक	अ.ज.जा.	बिलासपुर

शैलेन्द्र बंशपाल,
परीक्षा नियंत्रक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 06/L.G./2019/II-3-3/2011.—Shri Rajnish Shrivastava, District & Sessions Judge, Jashpur is hereby, granted earned leave for 02 days on 26-10-2018 & 27-10-2018 along with permission to leave headquarters after the Court hours of 25-10-2018 till 28-10-2018 and earned leave for 09 days from 13-12-2018 to 21-12-2018 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 275 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 07/L.G./2019/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 01 day on 22-11-2018 along with permission to remain out of headquarters from 21-11-2018 to 23-11-2018, earned leave for 01 days on 28-11-2018 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 27-11-2018 till before the Court hours of 29-11-2018 and earned leave for 13 days from 19-12-2018 to 31-12-2018 along with permission to remain out of headquarters after Court hours of 17-12-2018 till before the Court hours of 01-01-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+04 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 08/L.G./2019/II-2-13/2017.—Shri Yogesh Pareek, Special Judge (Atrocities), Korba is hereby granted earned leave for 08 days from 31-12-2018 to 07-01-2019 alongwith permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Pareek, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 143 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 09/L.G./2019/II-2-6/2007.—Shri Nirmal Minj, District & Sessions Judge, Rajnandgaon is hereby, granted earned leave for 10 days from 24-12-2018 to 02-01-2019 alongwith permission to remain out of headquarters from the evening of 22-12-2018 till 02-01-2019.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Minj, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 10/L.G./2019/II-3-40/2007.—Shri Arvind Kumar Verma, District & Sessions Judge, Bastar (Jagdapur) is hereby, granted earned leave for 08 days from 10-12-2018 to 17-12-2018 alongwith permission to remain out of headquarters from the night of 08-12-2018 till 17-12-2018.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Verma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 18th February 2019

No. 11/L.G./2019/II-3-10/2005.—Smt. Minakshi Gondaley, Judge, Commercial Court (District Level), Raipur is hereby, granted earned leave for 03 days from 16-01-2019 to 18-01-2019 alongwith permission to remain out of headquarters after the office hours of 15-01-2019 till before the office hours of 21-01-2019.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Gondaley had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 203 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
ATUL KUMAR SHRIVASTAVA, Additional Registrar (ADMN)